

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक :- एफ 4 (ई) द्वितीय एसीपी 92/अलेसे-III/

दिनांक :- 23/05/2013

आदेश संख्या 67/2013-14

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11 (7) वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12-09-2008 एवं आदेश संख्या एफ 11 (7) वित्त (नियम) पार्ट- 1/2008 दिनांक 08-10-2008 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) पे बैंड-2 (9300-34800) ग्रेड पे 4200/- में स्वीकृत की जाती है :-

| क्र.सं. | नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्वश्री | मेरिट संख्या/ बैंड संख्या | क.लेखाकार पद पर कार्यग्रहण तिथि | द्वितीय एसीपी देय तिथि | विशेष विवरण |
|---------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|
| 1       | 2                           | 3                         | 4                               | 5                      | 6           |
| 1       | लक्ष्मण लाल                 | 130/90                    | 21.06.1993                      | 21.06.2011             |             |
| 2       | दीनदयाल खड़गायत             | 448/90                    | 06.01.1994                      | 06.01.2012             |             |
| 3       | विशाल मोहन                  | डीजीएस/90                 | 29.12.1994                      | 29.12.2012             |             |
| 4       | विनय व्यास                  | डीजीएस/90                 | 10.11.1994                      | 10.11.2012             |             |
| 5       | अशोक नारायण पुरोहित         | डीजीएस/90                 | 30.08.1994                      | 30.08.2012             |             |

उक्त कनिष्ठ लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प0 14 (88) वित्त/ नियम/2008 दिनांक 31-12-2009 में दी हुई शर्तों के संबंध में सन्तोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा सन्तान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्रम संख्या 1 से 5 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर गत 9 वर्षों में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12-09-08 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व

कार्यालयध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में की जावे।

  
निदेशक

क्रमांक :- एफ 4 (ई) द्वितीय एसीपी 92/अलेसे-III/6546-60 दिनांक :- 23/5/2013  
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष .....
2. श्री ..... कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय .....
3. निजी सहायक निदेशक, महोदय।
4. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1) (गोपनीय शाखा) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कनिष्ठ लेखाकार के भविष्य में वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
5. एसीपी कम्प्यूटर शाखा/निजी/गार्ड फाईल।

  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)